शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/प्रतिभा पर्व/2021—22/ 5353 भोपाल, दिनांक : 29.9.21

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले, म.प्र.

विषय— प्रतिभा पर्व सत्र 2021—22 की सामग्री मुद्रण हेतु प्रारंभिक तैयारी विषयक।

संदर्भ— राशिके का पत्र क्र./राशिके/मूल्यांकन/2020/8331, दिनांक 18.12.2020

अवगत हों कि कोविड—19 के कारण उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों से अध्ययन—अध्यापन की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए अवरोध के कारण हो रहे लर्निंग लॉस को दृष्टिगत रखते हुए नवीन शिक्षा सत्र 2021—22 में भी सीखने—सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए "हमारा घर हमारा विद्यालय", दक्षता उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है इन शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति को सतत रूप से मूल्यांकन करना नितांत आवश्यक है ताकि लर्निंग गेप्स को चिन्हांकित कर उनमें सुधार हेतु प्रयास किए जा सकें। इस उद्देश्य से "व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट" की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में संचालित है। मूल्यांकन की इसी श्रृंखला में बच्चों के अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के रूप में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रतिभा पर्व का आयोजन गतवर्षानुसार ही इस वर्ष भी किया जाएगा।

मूल्यांकन संबंधी प्रारंभिक तैयारी हेतु टेंडर की कार्यवाही किया जाना— प्रतिभा पर्व 2021—22 संबंधी सामग्री राज्य स्तर से प्राप्त होने के पूर्व मुद्रण संबंधी समस्त औपचारिकताएँ यथा— भण्डार क्रय नियमानुसार निविदा आमंत्रण एवं न्यूनतम दर वाली एजेंसी को निर्धारित नार्म्स अनुसार मुद्रण हेतु आदेश जारी करना आदि पूरी कराएं, ताकि मुद्रण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। जिले स्तर से शासकीय भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत मुद्रण करवाकर बीआरसी व जनशिक्षकों के माध्यम से शालाओं को वितरण कराया जाए। प्रतिभा पर्व संबंधी समस्त सामग्री के मुद्रण, पैकिंग, वितरण आदि में कुल व्यय राशि का समायोजन निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा अनुसार गणना के आधार पर कुल राशि के विरुद्ध समेकित रूप से किया जाए। **मुद्रण दर/यूनिट कॉस्ट** गतवर्षानुसार निम्नानुसार रहेगी—

आकार	जी.एस.एम.	पृष्ठ संख्या	अधिकतम व्यय सीमा	कलर
ए—4 साइज	60	1 पेज (सिंगल साइड प्रिंटेड एक शीट)	40 पैसे	ब्लेक
ए—4 साइज	60	2 पेज (डबल साइड प्रिंटेड एक शीट)	60 पैसे	ब्लेक
ए—4 साइज	60	4 पेज (डबल साइड प्रिंटेड दो शीट)	95 पैसे	ब्लेक
ए—4 साइज	60	6 पेज (डबल साइड प्रिंटेड तीन शीट)	130 पैसे	ब्लेक
ए—4 साइज	60	8 पेज (डबल साइड प्रिंटेड चार शीट)	165 पैसे	ब्लेक
ए—3 साइज	60	1 पेज (सिंगल साइड प्रिंटेड एक शीट)	70 पैसे	ब्लेक

सामग्री की पैकिंग हेतु अधिकतम रूपए 10/— प्रतिशाला प्रतिभापर्व एवं अधिकतम रूपए 10/— प्रतिशाला वार्षिक मूल्यांकन के लिए राशि व्यय की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

निविदा करते समय निम्न बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए–

1. निविदा इस प्रकार जारी की जाए कि प्रतिभा पर्व (अर्द्धवार्षिक) एवं वार्षिक परीक्षा के होम बेस्ड असेसमेंट के प्रश्नपत्र मुद्रण का कार्य इन्हीं दरों के आधार पर किया जा सकेगा अर्थात सीमित निविदा न की जाए।
2. निविदा अंतर्गत प्रश्नपत्रों के मुद्रण में पृष्ठों की गणना विषयवार पृथक–पृथक की जाए।
3. प्रत्येक कक्षा के विषयवार प्रश्नपत्रों को सेन्ट्रली स्टेपल किया जाए परन्तु इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
4. निविदा इस प्रकार की जाए कि प्रतिभा पर्व (अर्द्धवार्षिक) एवं वार्षिक मूल्यांकन हेतु कार्यादेश इन्हीं दरों के आधार पर दिया जा सके।
5. GST हेतु पृथक से राशि देय नहीं होगी।

विगत कुछ वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों द्वारा संबंधित फर्म को उसी वित्तीय वर्ष में मुद्रण संबंधी देयकों का भुगतान नहीं किया जाता है जिस कारण बजट राशि Lapes हो जाती है तत्पश्चात् राज्य शिक्षा केन्द्र से भुगतान की अनुमति चाही जाती है जो सर्वथा अनुचित है। **वित्तीय वर्ष 2021–22 में ही समस्त देयकों का भुगतान सुनिश्चित हो यदि संबंधित वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है तथा तो इसके लिए जिला परियोजना समन्वयक व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।**

प्रतिभा पर्व आयोजन हेतु तिथि एवं विस्तृत निर्देश यथा समय जारी किए जाएंगे। निविदा आमंत्रण प्रक्रिया 15 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण कर राज्य शिक्षा केन्द्र को सूचित करें।

(धनराजू एस.) 29/09/2021
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/प्रतिभा पर्व/2021–22/5354 भोपाल, दिनांक : 29.9.21

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र., भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
8. प्राचार्य, डाइट/डीआरसी, समस्त, म.प्र.।
9. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द, समस्त जिले म.प्र. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
12. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

Scanned by CamScanner